किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

प्रकरण संख्या – 27/2018

तामील में जारी हुए

29.06.2018

अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की छीतर बनाम जगदीश उनवानी वाद तकास्मा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है क्योकि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में नजदीक की तारीख पेशीया दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में अनुचित रूप से करने पर आमादा है। इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस में लल्लू प्रसाद सैनी पुत्र स्व. छीतर सैनी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश करते समय अप्रार्थी सं. 01 मृत था। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो पोषणीय नही है। मूल दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन हैं जिसमे दिनांक 16.02.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण का चरण सं. 04 अस्वीकार है। क्योकि अप्रार्थी सं. 01 पूर्व में ही मृत हो चुका है।

प्रार्थी प्रभूलाल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 01 का देहान्त हो जाना व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में से अप्रार्थी सं. 01 छीतर का नाम लोपित करने का निवेदन किया गया है। जिसका कोई औचित्य नही है। क्योकि प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किये जाने से पूर्व ही अप्रार्थी सं. 01 की मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण विधि विरूद्ध पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवार पर लगाये गये आरोप मनगढन्त है। प्रकरण में देरी करने की गरज से तथा तथ्यो को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये–

1- **RRT 2016(1) Page 533**
2- **RRT 2016 (2) Page 1410**
3- **RRT 2017 (1) Page 475**
4- **RRT 2015 (1) Page 358**
5- **RRT 2017 (1) Page 464**
6- **RRT 2016 (2) Page 963**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 की मृत्यु उपरान्त भी उसको पक्षकार बनाया जाकर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थना में अंकित तथ्यो के सम्बन्ध में कोई ठोस सबूत पेश नही किये गये है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किये जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण छीतर बनाम जगदीश को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर